## औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्ब़, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015

### भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः– (क)** अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री छोटू राम डांगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्ब में प्रधानाचार्य/आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत्त रहे।

### (ख) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(i) अवधि 1.4.2007 से पूर्व के गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की स्थिति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित है। अतः उक्त अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्ब से सम्बन्धित अनिर्णीत पैरों को उचित स्त्रोत से प्राप्त करके उस पर अविलम्ब वाँछित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

**(ii) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–27 (क) (ख) | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा–28 | निर्णीत | (अनुपालना की सत्यापना के उपरान्त) |
| 3 | पैरा–29 | निर्णीत | (₹5250 की वसूली की सत्यापना उपरान्त) |
| 4 | पैरा–30 | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा–31 | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा–32 | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा–36 (i) | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा–36 (ii) | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा–36 (iii) | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा–36 (iv) | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा–36 (v) | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा–36 (vi) | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा–36 (vii) | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा–36 (viii) | अनिर्णीत | |

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

| क्र0सं0 | पैरा सं0 | विवरण | (₹)लाखों में |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत गत वर्षों में निवेशित राशियों तथा निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन न करना | विवरण पैरे में दिया गया है |
| 2 | 13 | छात्र कल्याण निधि से वैटरी (12 बोल्ट) के क्रय पर किए गए व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं | 0.20 |
| 3 | 14 | आवेदन पत्रों व अनापत्ति प्रमाण पत्रों के बिना संस्थान प्रतिभूति की राशि का भुगतान करना | 0.14 |
| 4 | 15 | बस संख्या एच0पी0–36–0349 की मुरम्मत व इंजन की ओवरहॉलिंग पर किए गए व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं | 1.12 |

## भाग–दो

## 2 वर्तमान अंकेक्षण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्ब के निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनाँक 3.8.2015 से 11.8.2015 के दौरान संस्थान में किया गया। अंकेक्षण की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

आयः– 10/10, 10/11, 11/12, 10/13 व 10/14

व्ययः– 4/10, 1/12, 7/12, 1/14 व 12/14

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्थान द्वारा अंकेक्षण को प्रदत्त सूचनाओं व अभिलेख पर आधारित है। संस्थान द्वारा प्रदत्त किसी भी गलत व अधूरी सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है।

## 3 अंकेक्षण शुल्क

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्ब के निधि लेखों के वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹12600/– आंका गया, जिसे प्रधानाचार्य द्वारा कांगड़ा सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या 587517 दिनांक 7.8.2015 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया।

## 4 वित्तीय स्थिति

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्ब द्वारा प्रस्तुत संस्थान की विभिन्न निधियों की अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 की वित्तीय स्थिति व दिनाँक 31.3.2015 को अन्तिम शेषों का विवरण बैंक खाता सहित निम्नानुसार है। वित्तीय स्थिति में दर्शाए गएं प्रारम्भिक शेष के आंकड़े गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित वित्तीय स्थिति से मेल नहीं खाते है। अतः इस सन्दर्भ में संस्था स्त्तर पर जांच करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

### (क) छात्र कल्याण निधि

| वित्तीय वर्ष | आरम्भिक शेष | आय | ब्याज | कुल योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | 872935 | 207655 | 25064 | 1105654 | 1029543 | 76111 |
| 2011–12 | 76111 | 91017 | 2489 | 169617 | 120275 | 49342 |
| 2012–13 | 49342 | 108802 | 1767 | 159911 | 90351 | 69560 |
| 2013–14 | 69560 | 98330 | 3915 | 171805 | 20922 | 150883 |
| 2014–15 | 150883 | 288632 | 3878 | 443393 | 235939 | 207454 |

### अन्तशेष का विवरण

| | | |
|---|---|---|
| (i) | दिनांक 31.3.2015 को के0सी0बी0 ऊना के बचत खाता संख्या 20096030284 में जमा राशि | ₹207239 |
| (ii) | दिनांक 31.3.15 को हस्तगत राशि | ₹215 |
| | **योग** | **₹207454** |

**नोटः–** दिनांक 31.3.15 को सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार राशि जमा थी, जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया है। ₹1932986

| क्र0सं0 | एफ0डी0 सं0 | निवेश की तिथि | निवेशित राशि | परिपक्वता तिथि | परिपक्वता राशि | ब्याज दर | अवधि | बैंक का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346771 | 6.12.14 | 565484 | 6.12.15 | 618121 | 9% | 12 माह | के0सी0सी0बी0 ऊना |
| 2 | 1283314 | 2.7.14 | 565974 | 2.7.15 | 618657 | 9% | 12 माह | के0सी0सी0बी0 ऊना |
| 3 | 340604 | 9.6.14 | 801528 | 9.6.15 | 876137 | 9% | 12 माह | के0सी0सी0बी0 ऊना |
| | | **योग** | **1932986** | | | | | |

## (ख) भवन निधि

| वित्तीय वर्ष | आरम्भिक शेष | आय | ब्याज | कुल योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | 429937 | 34500 | 12377 | 476814 | 419310 | 57504 |
| 2011–12 | 57504 | 48000 | 2954 | 108458 | – | 108458 |
| 2012–13 | 108458 | 46500 | 4965 | 159923 | – | 159923 |
| 2013–14 | 159923 | 48000 | 7082 | 215005 | – | 215005 |
| 2014–15 | 215005 | 48000 | 6686 | 269691 | – | 269691 |
| | **दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष** | | | | | **269691** |

**नोटः–** दिनांक 31.3.15 को सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार राशि जमा थी, जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया है। **₹565484**

| क्र0सं0 | एफ0डी0 सं0 | निवेश की तिथि | निवेशित राशि | परिपक्वता तिथि | परिपक्वता राशि | ब्याज दर | अवधि | बैंक का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346770 | 6.12.14 | 565484 | 6.12.15 | 618121 | 9% | 12 माह | के0सी0सी0बी0 ऊना |

## (ग) प्रतिभूति निधि

| वित्तीय वर्ष | आरम्भिक शेष | आय | ब्याज | कुल योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | 57309 | 11500 | 1610 | 70419 | 57500 | 12919 |
| 2011–12 | 12919 | 16000 | 484 | 29403 | 14000 | 15403 |
| 2012–13 | 15403 | 15500 | 609 | 31512 | 15000 | 16512 |
| 2013–14 | 16512 | 16000 | 701 | 33213 | 15000 | 18213 |
| 2014–15 | 18213 | 16000 | 468 | 34681 | 14000 | 20681 |

## अन्तशेष का विवरण

| | |
|---|---|
| दिनांक 31.3.2015 को के0सी0सी0बी0 ऊना के बचत खाता संख्या 20096030308 में जमा राशि | ₹18681 |
| दिनांक 31.3.15 को हस्तगत रोकड़ | ₹2000 |
| **योग** | **20681** |

**नोटः–** दिनांक 31.3.15 को सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार राशि जमा थी, जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया है। ₹70766

| क्र0सं0 | एफ0डी0 सं0 | निवेश की तिथि | निवेशित राशि | परिपक्वता तिथि | परिपक्वता राशि | ब्याज दर | अवधि | बैंक का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5407733 | 1.1.15 | 70766 | 2.1.16 | 77221 | 8.80% | 12 माह 1 दिन | आई0डी0बी0 आई0 ऊना |

**5 सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत गत वर्षों में निवेशित राशियों व निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखाँकन न करना**

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना के विभिन्न निधि खातों से गत वर्षों में सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत राशियाँ विभिन्न बैंकों में निवेशित की गई है तथा उन पर समय–2 पर ब्याज अर्जित हुआ है, लेकिन न तो निवेशित राशियों का और न ही निवेशित राशि पर समय–2 पर अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया है। इस प्रकार संस्थान द्वारा सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों को रोकड़ बही में न दर्शाना व निवेशित राशियों पर समय–2 पर अर्जित ब्याज को आय पक्ष में न दर्शाना अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है। अतः उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण तकनीकी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ तुरन्त अपेक्षित कार्रवाई करने के प्रयोजन से लाया जाता है, ताकि सावधिक योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों व निवेशित राशियों पर समय–2 पर अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन सम्भव हो सके। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से इस विभाग को अविलम्ब अवगत करवाया जाए। संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के दौरान निवेशित राशियो ंव निवेशित राशियो ंपर अर्जित ब्याज, जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया है, का विवरण निम्नलिखित हैः–

**(क) छात्र कल्याण निधि**

| क्र0 सं0. | एफ0डी0सं0 व बैंक का नाम | निवेश की तिथि | निवेशित राशि | परिपक्वता तिथि | परिपक्वता राशि | ब्याज की दर | अवधि | अर्जित ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1283314 के0सी0सी0बी0 ऊना | 2.5.08 | 339432 | 2.5.10 | 401616 | 9% | 24 माह | 62184 |
| | | 2.5.10 | 401616 | 2.5.11 | 428364 | 6.50% | एक वर्ष | 26748 |
| | | 2.5.11 | 428364 | 2.5.12 | 469383 | 9.25% | 12 माह | 41019 |
| | | 2.5.12 | 469383 | 2.5.13 | 514330 | 9% | 12 माह | 44947 |
| | | 2.7.13 | 519045 | 2.7.14 | 565974 | 9% | 12 माह | 46929 |
| | | 2.7.14 | 565974 | 2.7.15 | 618657 | 9% | 12 माह | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 346771 के0सी0सी0बी0 ऊना | 6.12.10 | 400000 | 6.12.11 | 432973 | 8% | 12 माह | 32973 |
| | | 6.12.11 | 432973 | 6.12.12 | 474434 | 9.25% | 12 माह | 41461 |
| | | 6.12.12 | 474434 | 6.12.13 | 517329 | 8.25% | 12 माह | 42895 |
| | | 6.12.13 | 517329 | 6.12.14 | 565484 | 9% | 12 माह | 48155 |
| | | 6.12.14 | 565484 | 6.12.15 | 618121 | 9% | 12 माह | — |
| 3 | 340604 के0सी0सी0बी0 ऊना | 9.6.10 | 570157 | 9.6.11 | 608130 | 7% | 12 माह | 37973 |
| | | 9.6.11 | 608130 | 9.8.12 | 666364 | 9.25% | 12 माह | 58234 |
| | | 9.8.12 | 672472 | 9.6.13 | 735068 | 9% | 12 माह | 62596 |
| | | 9.6.13 | 735068 | 9.6.14 | 801528 | 9% | 12 माह | 66460 |
| | | 9.6.14 | 801528 | 9.6.15 | 876137 | 9% | 12 माह | — |

## (ख) भवन निधि

| | एफ0डी0सं0 व बैंक का नाम | निवेश की तिथि | निवेशित राशि | परिपक्वता तिथि | परिपक्वता राशि | ब्याज की दर | अवधि | अर्जित ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346770 के0सी0सी0बी0 ऊना | 6.12.10 | 40000 | 6.12.11 | 432973 | 8% | 12 माह | 32973 |
| | | 6.12.11 | 432973 | 6.12.12 | 474434 | 9.25% | 12 माह | 41461 |
| | | 6.12.12 | 474434 | 6.12.13 | 517329 | 8.75% | 12 माह | 42895 |
| | | 6.12.13 | 517329 | 6.12.14 | 565484 | 9% | 12 माह | 48155 |
| | | 6.12.14 | 565484 | 6.12.15 | 618121 | 9% | 12 माह | — |

## (ग) प्रतिभूति निधि

| | एफ0डी0सं0 व बैंक का नाम | निवेश की तिथि | निवेशित राशि | परिपक्वता तिथि | परिपक्वता राशि | ब्याज की दर | अवधि | अर्जित ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109231 आई0डी0बी0आई0 ऊना | 7.12.10 | 50000 | 8.6.11 | 51737 | 7% | 6 माह 1 दिन | 1737 |
| | | 8.6.11 | 51737 | 29.12.11 | 53879 | 8.15% | 6 माह 1 दिन | 2142 |
| | | 29.12.11 | 53879 | 30.12.12 | 59198 | 9.50% | 12 माह 1 दिन | 5319 |
| | | 30.12.12 | 59198 | 31.12.13 | 64724 | 9% | 12 माह 1 दिन | 5526 |
| | | 31.12.13 | 64724 | 1.1.15 | 70766 | 9% | 12 माह 1 दिन | 6042 |
| | | 1.1.15 | 70766 | 2.1.16 | 77221 | 8.80% | 12 माह 1 दिन | — |

## 6 प्रवेश शुल्क तथा शैक्षणिक शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में देरी से जमा करवाना

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्ब में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से प्रवेंश शुल्क व शैक्षणिक शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को वसूली के अगले दिन सरकारी कोष में जमा न करवाकर कई–2 दिनों तक हस्तगत रखकर इनका अस्थाई दुरूपयोग किया गया है, जबकि नियमानुसार सरकारी राशि को वसूली के अगले दिन व अगले दिन अवकाश होने की स्थिति में उससे अगले दिन चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है। अतः उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सरकारी राशि को नियमानुसार यथासमय सरकारी कोष में जमा करवाया जाए। इन शुल्कों से सम्बन्धित सरकारी राशि को देरी से जमा करवाने के कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

| क्र0सं0 | वसूली की तिथि | वसूली गई राशि | सरकारी कोष में जमा करवाने की तिथि | जितने दिन बाद सरकारी कोष में जमा करवाई |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.10.12 | 167400 | 6.11.12 | 6 दिन |
| 2 | 15.11.12 | 24800 | 6.12.12 | 20 दिन |
| 3 | 30.10.13 | 148800 | 6.11.13 | 6 दिन |
| 4 | 31.10.13 | 24800 | 6.11.13 | 5 दिन |
| 5 | 8.11.13 | 24800 | 28.11.13 | 19 दिन |

## 7 प्रवेश शुल्क तथा शैक्षणिक शुल्क के रूप में प्राप्त सरकारी राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने के उपरान्त कई दिनों बाद सरकारी कोष में जमा करवाना

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्ब में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से दिनांक 30.10.2014 को प्रवेश शुल्क व शैक्षणिक शुल्क के रूप में ₹198000/– की वसूली की गई है, लेकिन उक्त वसूली गई राशि को वसूली के अगले दिन सरकारी कोष में जमा न करवाकर छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया गया है व तदोपरान्त दिनांक 5.12.2014 को अर्थात 35 दिनों उपरान्त सरकारी कोष में चालान द्वारा जमा करवाया गया है, जिसके फलस्वरूप राजकीय कोष में ब्याज स्वरूप हानि हुई है। नियमानुसार सरकारी राशि को वसूली के अगले दिव न अगले दिन अवकाश होने की स्थिति में उससे अगले दिन सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी राशि का अस्थाई दुरूपयोग करने के उद्देश्य से ही उक्त राशि को पहले छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया गया है व कई दिनों बाद यह राशि सरकारी कोष में जमा करवाई गई है। अतः उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सरकारी

राशि की वसूली के उपरान्त अविलम्ब सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी अस्थाई दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**8 प्रवेश शुल्क तथा शैक्षणिक शुल्क से सम्बन्धित ₹142600/– को सरकारी कोष में जमा करवाने के सन्दर्भ में**

जाँच के दौरान पाया गया कि शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार रसीद संख्या 9647 से 9659 के अन्तर्गत दिनांक 29.9.2010 को 13 प्रशिक्षुओं से प्रवेश शुल्क की प्रति प्रशिक्षु ₹200/– तथा शैक्षणिक शुल्क की प्रति प्रशिक्षु ₹6000/– की दर से कुल (200x13+6000x13=₹80600) की वसूली की गई थी तथा रसीद संख्या 9661 से 9670 के अन्तर्गत दिनांक 28.10.2010 को 10 प्रशिक्षुओं से प्रवेश शुल्क की प्रति प्रशिक्षु ₹200/–तथा शैक्षणिक शुल्क की प्रति प्रशिक्षु ₹6000/– की दर से (200x10+6000x10=₹62000) की वसूली की गई थी, अर्थात संस्थान द्वारा इन शुल्क की कुल (80600+62000=₹142600) की वसूली की गई थी, लेकिन संस्थान उक्त वसूली गई राशि को चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा न करवाकर छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया गया। उक्त प्रकरण को अंकेक्षण के दौरान प्रधानाचार्य के ध्यानार्थ लाया गया, जिस पर प्रधानाचार्य द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त राशि की निकासी छात्र कल्याण निधि से करने के उपरान्त यह राशि चालान द्वारा दिनांक 6.8.2015 को सरकारी कोष में जमा करवा दी गई है व राशि जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराने हेतु प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

**9 पहचान पत्र निधि के रूप में ₹1150/– की कम वसूली करना**

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्ब में मोटर ड्राईविंग एवं हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑप्रेटर्ज ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 23 प्रशिक्षुओं से वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान पहचान पत्र की प्रति प्रशिक्षु ₹100/– के स्थान पर प्रति प्रशिक्षु ₹50/– की दर से वसूलने के कारण ₹1150/– की कम वसूली हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के आद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों की विवरण पुस्तिका के पैरा संख्या 6.1 (iii) के अनुसार हैवी मोटर ड्राईविंग एवं हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑप्रेटरर्ज के छात्रों से प्रति छात्र ₹100/– की दर से पहचान पत्र शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित थी। अतः उक्त कम वसूली गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी

सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। कम वसूली का विवरण निम्नानुसार है।

| वित्तीय वर्ष | छात्रों की सं0 | वसूली योग्य दर | वसूली गई दर | कम वसूली गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2010—11 | 23 | 100 | 50 | 23X50=1150 |

## 10 जलपान के रूप में ₹1945 का अनाधिकृत एवं अनियमित भुगतान करना

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि अम्ब से निम्नलिखित विवरणानुसार जलपान के रूप में ₹1945/— का व्यय किया गया दर्शाया गया है।

| क्र0 सं0 | माह/ दिनांक | फर्म का विवरण | क्रय सामान का विवरण | मात्रा | दर | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/14 | कोल्ड कार्नर बार एंड रेस्टोरेन्ट, ऊना | विवरण स्पष्ट उल्लेखित नही है। | 1कि0ग्रा0 | 260 | 260 |
| | | | | 1कि0ग्रा0 | 120 | 120 |
| | | | | 2 | 70 | 140 |
| | | | | | **योग** | **520** |
| 2 | 4.1.14 | मैसर्ज शर्मा वैष्णों कैन्टीन ऊना | चाय कप | 20 | 5 | 100 |
| | | | समोसा | 20 | 5 | 100 |
| | | | कोल्डड्रिंक्स | 2 | 65 | 130 |
| | | | बिस्कुट | 4 | 30 | 120 |
| | | | | | योग | 450 |
| 3 | 4.12.14 | स्टैण्ड स्वीटस शॉप, ऊना | पनीर पकौडा | 1½ कि0ग्रा0 | 240 | 360 |
| | | | वैज पकौडा | 2 कि0ग्रा0 | 120 | 240 |
| | | | कोल्ड ड्रिंक्स | 5 | 75 | 375 |
| | | | | | **योग** | **975** |
| | | **क्रम संख्या 1 से 3 तक का कुल योग** | | | | **₹1945** |

उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 2 पर उल्लेखित ₹970/—का श्री विनोद धीमान ग्रुप अनुदेशक को भुगतान किया गया तथा क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित ₹975 का श्री याद राम रोकड़िया को भुगतान किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, औद्योगिक एवं प्रशिक्षण की अधिूसचना संख्या EDN (TE) A (3) 2/2004 दिनांक 8.7.10 के अन्तर्गत बनाए गए छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के (नियम (3) निधि का परिचालन एवं उपयोग/व्यय) के अनुसार छात्र कल्याण निधि से उपरोक्त उल्लेखित जलपान पर व्यय करने

का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उक्त व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति वसूली करने के उपरान्त यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 11 पहचान पत्रों की खपत से सम्बन्धित विवरण तैयार न करना

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से दिनांक 18.3.2011 को पहचान पत्र क्रय करने हेतु ₹12000/– का व्यय किया गया दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

| बिल सं0/दिनांक | फर्म का विवरण | क्रय सामान का विवरण | मात्रा | दर | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 321/12.3.11 | ग्लैक्सी ऑफसैट प्रिंटर्स, ऊना | पहचान पत्र | 1500 | 8 | 12000 |

उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए पहचान पत्रों की प्राप्ति की छात्र कल्याण निधि ऊना के स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या 12 के क्रम संख्या 49 पर प्रविष्टियाँ दर्ज करने के उपरान्त इन्हें स्पोटर्स प्रभारी को ऊना में जारी किया गया दर्शाया है, जबकि पहचान पत्रों की खपत प्रशिक्षुओं के अनुसार व ट्रेड के अनुसार की जानी अपेक्षित थी। अतः पहचान पत्रों की खपत से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण मे ंसत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

## 12 छात्र कल्याण निधि से क्रय किए गए ₹20239 के ट्रेक सूट व स्पोर्टस किट की स्टॉक प्रविष्टियाँ छात्र कल्याण निधि अम्ब के स्टॉक रजिस्टर में न करने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 25.4.2011 को छात्र कल्याण निधि से निम्नानुसार ₹20239/– का व्यय किया गया दर्शाया गया है।

| बिल संख्या/दिनांक | फर्म का विवरण | क्रय सामान का विवरण | मात्रा | दर | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 2408/1.4.11 | प्रजापति हौजरी उद्योग, बिलासपुर | ट्रैक सूट (नाईलॉन) | 25 | 520 | 13000 |
| | | स्पोर्टस किट | 25 | 251 | 6275 |
| | | | | | 19275 |
| | | | | **वैट 5%** | **964** |
| | | | | **योग** | **20239** |

उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए दर्शाए गए ट्रैक सूट व स्पोर्टस किट की स्टॉक प्राप्ति की प्रविष्टियाँ छात्र कल्याण निधि ऊना के स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या 15 के क्रम संख्या 58 पर करने के उपरान्त इन्हें श्री विनोद धीमान ग्रुप अनुदेशक (एम0डी0 – एच0 ई एम एम ओ टी) ऊना को जारी किया गया दर्शाया गया है, लेकिन उक्त समान छात्र कल्याण निधि अम्ब से क्रय किया गया है तथा छात्र कल्याण निधि अम्ब के स्टॉक रजिस्टर में उक्त सामान की प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं है। अतः उक्त सामान की प्राप्ति की स्टॉक प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने के उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

**13 छात्र कल्याण निधि से वैटरी (12 बोल्ट) के क्रय पर किए गए ₹20072/– के व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं**

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 30.4.2010 को बस नम्बर एच0पी0 25–0739 हेतु 12 बोल्ट बैटरी क्रय करने के हेतु मैसर्ज भागडा मोटर, नंगल रोड ऊना को ₹20072/– का निम्नानुसार भुगतान किया गया दर्शाया है।

| दिनांक | फर्म का विवरण | क्रय सामान का विवरण | मात्रा | दर | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.4.10 | भागड़ा मोटर नंगल रोड ऊना | बैटरी (12 बोल्ट) (एस एफ सानिक) | 2 | 9650 | 19300 |
| | | | | **वैट 4%** | **772** |
| | | | | **योग** | **₹20072** |

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचर की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है, जिनका निराकरण अपेक्षित है।

**(क)** उपरोक्त उल्लेखित बस से बदली गई पुरानी बैटरी (12 बोल्ट) की (मुरम्मत व रख रखाव लॉग बुक) में स्टॉक प्रविष्टियों की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि उक्त बस की (मुरम्मत व रख रखाव लॉग बुक) अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं की गई। अतः उक्त बस की (मुरम्मत व रख रखाव लॉग बुक) सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि पुरानी बैटरी की स्टॉक प्रविष्टि की सत्यापना की जाँच सम्भव हो सके।

**(ख)** उपरोक्त उल्लेखित बैटरियों को क्रय करने से पूर्व निदेशक, तकनीकी शिक्षा के पत्र संख्या 195 दिनांक 2.5.2010 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त की गई दर्शाई है, जबकि उक्त बैटरियों का क्रय स्वीकृति से पूर्व दिनांक 30.4.1200 को ही कर लिया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

## 14 आवेदन पत्रों व अनापति प्रमाण पत्रों के बिना संस्थान प्रतिभूति की ₹14000/– का भुगतान करना

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्ब में निम्नविवरणानुसार प्रशिक्षुओं को संस्थान प्रतिपूर्ति ₹14000/– की वापिस लौटाई गई दर्शाई है।

| क्र0सं0 | दिनांक | छात्रो की सं0 | प्रति छात्र भुगतान की गई राशि | कुल भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.9.14 | 24 | 500 | 24x500=12000 |
| 2 | 30.11.14 | 3 | 500 | 3x500=1500 |
| 3 | 2.12.14 | 1 | 500 | 1x500=500 |
| | | | **कुल योग** | **₹14000** |

**(क)** उपरोक्त उल्लेखित वापिस लौटाई गई राशि से सम्बन्धित प्रशिक्षुओं के आवेदन पत्र एवं संस्थान के अनुदेशकों/प्रशिक्षको से अपेक्षित प्रशिक्षुओं के पक्ष में जारी न देय/अनापति प्रमाण पत्र अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जिनके अभाव में वापिस लौटाई गई संस्थान प्रतिभूति की राशि को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः वाँछित आवेदन पत्र व अनापति प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए ताकि वापिस लौटाई गई संस्था प्रतिभूति को नियमानुसार उचित ठहराया जाए तथा भविष्य में भी संस्था प्रतिभूति राशि का भुगतान नियमानुसार उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(ख)** उपरोक्त उल्लेखित संस्थान प्रतिभूति को वापिस लौटाने हेतु चैक संख्या 585419 दिनांक 15.9.14 द्वारा स्वयं हेतु चैक काटकर ₹16000/– आहरित की गई है व उक्त राशि में से दिनांक 15.9.2014 को ₹12000/–, दिनांक 30.11.2014 को ₹1500 तथा दिनांक 2.12.2014 को ₹500/– अर्थातु कुल ₹14000/– का भुगतान किया गया है तथा दिनांक 31.3.2015 तक शेष (16000–14000=₹2000) हस्तगत रोकड़ के रूप में दर्शाई गई है। अतः उपरोक्त उल्लेखित राशि के भुगतान करने के लिए स्वयं हेतु चैक काटकर भुगतान करने व शेष बची राशि हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

## 15 बस संख्या एच0पी0–36–0349 की मुरम्मत व इंजन की ओवरहॉलिंग पर किए गए ₹112182/– के व्यय के सम्बन्धित अनियमितताएं

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से माह 1/2012 के दौरान निम्नविवरणानुसार बस संख्या एच0पी0 36–0349 की मुरम्मत तथा इंजन की ओवर हॉलिंग व रिपेयर (डेन्टिंग पेन्टिंग) करवाने हेतु ₹112182/– का व्यय किया गया दर्शाया गया है।

| क्र0 सं0 | बिल सं0 / दि0 | फर्म का विवरण | क्रय सामान का विवरण | मात्रा | दर | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0722 से 724 / 12.11.11 | मैसर्ज भागड़ा ऑटोमोबाईल्स टाटा ऑथोराईज्ड सर्विस स्टेशन अम्ब रोड ऊना | मेन वैरिंग | 1 सैट | 1830 | 1830 |
| | | | सी0आर0 वैरिंग | 1 सैट | 1250 | 1250 |
| | | | कैम सॉफ्ट बुश | 1 सैट | 395 | 395 |
| | | | थ्रस्ट वाशर | 1 सैट | 200 | 200 |
| | | | सिलेण्डर लाईनर | 6 सैट | 405 | 2430 |
| | | | पिस्टन | 1 सैट | 8155 | 8155 |
| | | | ऑयल पम्प गेयर | 1 सैट | 430 | 430 |
| | | | ऑयल पम्प बल्ब | 1 सैट | 110 | 110 |
| | | | रेसर आरम शॉफ्ट | 2 | 405 | 810 |
| | | | रेसर आरम बुश | 6 | 32 | 192 |
| | | | हैड बल्ब | 1 सैट | 1930 | 1930 |
| | | | हैड बल्ब गाईड इन | 6 | 35 | 210 |
| | | | हैठ बल्ब गाईड एक्स्टेंट | 6 | 31 | 186 |
| | | | हैंड बल्ब सील | 1 सैट | 710 | 710 |
| | | | हैंड वाशर | 12 | 10 | 120 |
| | | | पिस्टन रिंग | 1 सैट | 5230 | 5230 |
| | | | एयर कम्प्रेशर वेरिंग | 1 सैट | 124 | 124 |
| | | | एयर कम्प्रेशर रिंग | 1 सैट | 170 | 170 |
| | | | सिलेण्डर स्लीब | 1 | 630 | 630 |
| | | | सीलिंग रन हॉफ | 1 सैट | 160 | 160 |
| | | | टाईपिंग ऑयल सील | 1 | 155 | 155 |
| | | | स्पेसर | 1 | 140 | 140 |
| | | | इंजन ओ / एच गैसकिट किट | 1 | 1850 | 1850 |
| | | | क्लच प्लेट | 1 | 5670 | 5670 |
| | | | प्रैशर प्लेट | 1 | 6260 | 6260 |
| | | | इंजन एम टी जी रियर | 2 | 830 | 1660 |
| | | | इंजन एम टी जी फरंट | 2 | 350 | 700 |
| | | | फयूल फिल्टर | 2 | 149 | 298 |
| | | | आयॅल फिल्टर | 1 | 252 | 252 |
| | | | रेडिऐटर एम टी जी पैड | 1 सैट | 590 | 590 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | होर पाईप किट | 1 सैट | 450 | 450 |
| | | | क्रेन्क सॉफट वैरिंग | 1 | 206 | 206 |
| | | | ऐरे केन रॉड | 1 | 2250 | 2250 |
| | | | इंजन ऑयल | 20 लीटर | 248 | 4960 |
| | | | मजदूरी | | | |
| | | | इंजन ओपवरहॉलिंग | – | – | 6000 |
| | | | इंजन बैरिंग वर्क | – | – | 5500 |
| | | | मशीन जॉब ऑफ क्लच | – | – | 1080 |
| | | | एफ आई पी ऑफ हौलिंग | – | – | 7250 |
| | | | | | **योग** | **70543** |
| 2 | 395 से 397/28.3.12 | शर्मा कोच बिल्डर अम्ब रोड ऊना | साईड डैमेज्ड शीट कटिंग | – | – | 10500 |
| | | | फ्रर्न्ट शो पिल्लर अलाइनमैन्ट | – | – | 860 |
| | | | ड्राईवर खिडकी | – | – | 680 |
| | | | चैसी फाउन्डेशन रिपेयर | – | – | 5500 |
| | | | वोन्ट सिटी एंड डयूल सिस्टम सैटिंग | – | – | 2250 |
| | | | ड्राईवर सीट न्यू फिक्सिंग | – | – | 850 |
| | | | बैक ग्लास न्यू एंड बैक ग्लास रबड | – | – | 1600 |
| | | | रिपेयर वर्क विद राइटिगं वर्क | – | – | 9500 |
| | | | राईवट वर्क एंड पम्प वर्क | – | – | 4200 |
| | | | मड गार्ड पैच वर्क न्यू एम एस सीट विद बैल्डिंग वर्क | – | – | 850 |
| | | | व्हीन हव ग्रीस विद सील | – | – | 2110 |
| | | | मकैनिकल लेबर चार्जिज | – | – | 600 |
| | | | इलैक्ट्रिकल वर्क बल्ब इन्डीगेटर विद लेबर | – | – | 1859 |
| | | | फुल वॉशिंग | – | – | 280 |
| | | | | | **योग** | **41639** |
| | | **क्रम संख्या 1 व 2 का कुल योग (70543+41369)** | | | | **₹112182** |

उपरोक्त उल्लेखित व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है, जिनका निराकरण अपेक्षित है।

**(क)** उक्त इंजन की ओवरहॉलिंग कार्य करवाने हेतु निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 1493 दिनांक 27.12.2011 द्वारा स्वीकृति ली गई है, जबकि उक्त कार्य स्वीकृति से पूर्व अर्थात दिनांक 12.11.2011 को ही करवा लिया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

**(ख)** उक्त बिल की जाँच के उपरान्त अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 15 दिनांक 3.8.2015 के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूचनाएं मांगी गई थी, जिन्हें अंकेक्षण की समाप्ति तक अंकेक्षण दल को प्रदान नहीं किया गया। अतः सम्बन्धित सूचनाएं जो कि बिल की जाँच करने हेतु अति आवश्यक थी, प्रदान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित सूचनाएं तैयार करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण में हेतु प्रस्तुत की जाएं।

**(i)** बस के क्रय करने की तिथि क्या है तथा क्या संस्थान द्वारा नई बस खरीदी गई थी अथवा पुरानी बस खरीदी गई है व बस क्रय करने पर कितनी राशि खर्च की गई है।

**(ii)** बस की क्रय करने की तिथि से वर्तमान तिथि तक बस की मुरम्मत व ओवर हॉलिंग पर कब–2 कितना–2 व्यय किया गया है।

**(iii)** बस का वर्तमान में अंकित मूल्य (Book Value) क्या है व किस दर से कितनी राशि का ह्रास बस पर लगाया गया है।

**(iv)** बस का क्रय किस स्त्रोत से किया गया है अर्थात बस का क्रय सरकारी राशि/आई0एम0सी0 निधि/छात्र कल्याण निधि इत्यादि किस स्त्रोत से किया गया है।

**(v)** बस की औसतन जीवन अवधि व औसतन मूल्य क्या है।

## 16 रोकड़ बहियों को प्रधानाचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित न करना

अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2015 के दौरान निम्नविवरणानुसार निधियो की रोकड़ बहियों को प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित/हस्ताक्षरित नहीं किया गया है, जिसके बारे नियमानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा रोकड़ बहियों को सत्यापित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

| | निधि का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | छात्र कल्याण निधि | 5.5.14 से 31.3.15 |
| 2 | भवन निधि | 31.10.14 से 31.3.15 |
| 3 | प्रतिभूति निधि | 15.9.14 से 31.3.15 |

## 17 स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन न करवाना

संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का कमेटी गठित करने के उपरान्त भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के वित्तीय नियम 140 (2) के अनुसार उक्त सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार करवाया जाना अपेक्षित है। अतः अपेक्षित सत्यापन यथाशीघ्र करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में यह सत्यापन उपरोक्त नियमानुसार प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 18 स्थाई व अस्थाई सामान (Consumable and Non Consumable) के अलग–2 स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव न करना

जाँच के दौरान पाया गया कि संस्थान में निधियों से खरीदे गए स्थाई व अस्थाई सामान के अलग–2 स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नही किया गया है, जबकि प्रक्रियानुसार स्थाई व अस्थाई मदो हेतु पृथक–पृथक स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव न केवल सुविधाजनक अपितु लाभप्रद भी है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया को अंगीकृत करने से संस्था में एक निश्चित तिथि को प्रत्येक मद/वस्तु ज्ञात करना अत्यन्त सुविधाजनक होता है। अतः स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव वस्तुओं की प्रवृति के अनुसार अर्थात consumable and non consumable items हेतु पृथक–2 करते हुए प्रत्येक मद हेतु पृथक–पृथक पृष्ठ आबंटित करते हुए तिथिवार क्रम में अर्थात प्राप्ति पर मद का योग करके उनमें से निर्गम पर मद का घटाव करते हुए शेष मात्रा निकाली जानी सुनिश्चित की जाए, ताकि स्टॉक रजिस्टरों के रख रखाव का उद्देश्य सफल हो सके।

## 19 रसीदों के स्टॉक रजिस्टर बारे

छात्रो से शुल्क एवं निधियों की वसूली रसीदों द्वारा की गई, लेकिन अंकेक्षण अवधि में प्राप्त की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया, जबकि प्रत्येक रसीद पुस्तिका की स्टॉक प्रविष्टि तथा जारी किए जाने तथा प्रयोग में लाए जाने सम्बन्धी ब्यौरा सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित था। संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि में कुल प्राप्त रसीदों व उनके उपयोग की जानकारी अभिलेख सहित अंकेक्षण में उपलबध नहीं करवाई गई है। अतः आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर पड़ताल हेतु प्रस्तुत करें।

**20** **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

**21** **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच (2)सी (15) (xi) (v) 123 / 15—7930—7932 दिनांक18.12.15, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

**पंजीकृत** 1 प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्ब जिला ऊना, (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भिजवायें।

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक एवं औ़द्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता / —

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.